इलाहाबाद विश्वविद्यालय

क्रमांक.......

कला/विज्ञान/वाणिज्य/विधि संकाय

(भूतपर्व परीक्षार्थी के लिये अनुमति व परीक्षा आवेदन पत्र)

अनुक्रमांक आवेदक न भरें							

आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का चित्र चिपकायें एवं स्वतः पूर्ण हस्ताक्षर कर सत्यापित करें।	1. परीक्षा का नाम व भाग..परीक्षा 200 2. आवेदक की संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान) का नाम .... 3. आवेदक की नामांकन संख्या.. 4. आवेदक द्वारा जमा शुल्क का विवरण शुल्क रसीद संख्या..................राशि...................दिनांक..................

5. आवेदक का पूरा नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी के स्पष्ट अक्षरों में

हिन्दी में..लिंग (Sex)..........................

अंग्रेजी में

6. आवेदक के पिता का नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी के स्पष्ट अक्षरों में

हिन्दी में..

अंग्रेजी में

7. आवेदक की जन्म तिथि } तिथि [ ] माह [ ] वर्ष [ ]

8. परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी

9. सामाजिक संवर्ग– अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य..

(अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के आवेदक जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।)

10. आवेदक की कक्षा एवं विषय/विषय वर्ग/प्रश्नपत्र

कक्षा..................................विषय/विषय वर्ग/प्रश्नपत्र..

1	2	3

यदि कोई वैकल्पिक विषय वर्ग है तो उसका उल्लेख यहाँ करें।

1	2	3

13. इस परीक्षा से पूर्व सम्बन्धित कक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में आवेदक के नामांकन के विषय में सूचना।

सत्र जिसमें इस परीक्षा में आवेदक नियमित विद्यार्थी था	क्या आवेदक ने उपस्थिति पूरी की थी	क्या आवेदक ने समस्त शुल्क व अन्य देय जमा किये थे	क्या आवेदक ने परीक्षा प्रपत्र भरा था	पूर्व वर्ष में आवेदक का अनुक्रमांक क्या था	क्या आवेदक परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ असम्मलित हुआ या उसका परीक्षा फल निरस्त किया गया	टिप्पणी

14. आवेदक का स्थानीय पता.......................

....

....

..............................पिन नं0................

15. आवेदक का स्थायी पता.........................

....

....

..............................पिन नं0................

16. आवेदक द्वारा घोषणा : मैं उपर्युक्त परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति चाहता हूँ। सम्बंधित विवरण इस प्रपत्र में वर्णित है, जो सत्य एवं सही हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। मुझे ज्ञात है कि सभी दृष्टियों से मेरा आवेदन उपयुक्त होने पर मुझे परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रपत्र में गलत सूचना देने व तथ्य छिपाये जाने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह मुझे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दे या ऐसी सूचना प्रकाश में आने पर मेरा परीक्षा फल निरस्त कर सकता है।

स्थान.....

तिथि..... आवेदक के पूर्ण व स्पष्ट हस्ताक्षर.....

.....

अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर

व तिथि कार्यालय सील/पद नाम के साथ

आवश्यक–निर्देश

(क) 1. आवेदक परीक्षा प्रपत्र भरने व जमा करने के पूर्व उल्लिखित निर्देशों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही अन्तिम रूप से कार्यालय में जमा करें।

2. सभी दृष्टियों से पूर्ण प्रपत्र विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि तक अग्रसारण कार्यालय में जमा कर दें तदुपरांत परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ सम्बंधित कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

3. आवेदक परीक्षा आवेदन प्रपत्र अग्रसारण कार्यालय में जमा करके रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, यदि आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है तो परीक्षार्थी रसीद लौटा कर ही परीक्षा प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकेगा।

भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में स्वीकृति सम्बन्धी अध्यादेश, नियम व परिनियम

(ख) 1. भूतपूर्व कोई विद्यार्थी परीक्षार्थी के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, यदि परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित सत्र में उसके द्वारा उपस्थिति पूर्ण की गयी हो।

2. विश्वविद्यालय के अध्यादेश परिच्छेद उनतीस के अधीन आवेदक परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकन के सत्र से 5 वर्ष के अन्दर ही परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। यदि आवेदक परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकन के सत्र में उपस्थिति या किसी अन्य कारण से परीक्षा में प्रस्तुति के लिए अर्ह नहीं था, तो वह परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता है।

3. यदि परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थियों को प्रस्तुति के लिए निर्धारित 5 वर्ष की अधिकतम अवधि को नियमित या संक्रमणकालीय अध्यादेशों द्वारा सीमित या व्यापक रूप से घटा सकता है। ऐसा परिवर्तन पूर्वगामी रूप से प्रभावित होगा।

4. भूतपूर्व विद्यार्थी केवल उन्हीं विषयों/विषय–वर्गों/प्रश्न–पत्रों के साथ परीक्षा में प्रस्तुत हो सकता है जिनका उसने नियमित विद्यार्थी के रूप में विधिवत अध्ययन किया है, परन्तु यदि बी0ए0 भाग 1 में संकाय के डीन ने किसी आवेदक को एक विषय/प्रश्न–पत्र बदलने/को विधिवत् अनुमति प्रदान की है, तो आवेदक नीवन विषय/प्रश्न– पत्र के साथ परीक्षा में तभी प्रस्तुत हो सकता है जब कि उसने नवीन विषय प्रश्न–पत्र में नैमित्तिक (कैजुअल) नामांकन के उपरांत यथेष्ठ उपस्थिति पूरी की हो।

5. यदि आवेदक विगत सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने पर किसी विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित था, तो वह सम्बन्धित विभाग में कम से कम दो सप्ताह तक प्रयोगात्मक शिक्षा में सम्मिलित हुये बिना परीक्षा में पुर्नप्रस्तुति के लिए अर्ह नहीं होगा। इस प्रकार के आवेदक के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे प्रत्येक विषय में निर्धारित अवधि तक प्रयोगात्मक कक्षा में उपस्थिति का विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

परीक्षा प्रवेश – पत्र

कला / विज्ञान / वाणिज्य / विधि संकाय

भूतपूर्व विद्यार्थी

अनुक्रमांक आवेदन न भरें						

अवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का चित्र चिपकायें एवं स्वतः पूर्ण हस्ताक्षर कर सत्यापित करें

परीक्षार्थी की संस्था (विश्वविद्यालय या महाविद्यालय / संस्थान) का नाम .....

परीक्षार्थी की नामांकन संख्या .....

परीक्षा का नाम व भाग

.....परीक्षा वर्ष 200.....

केवल बी0ए0 / बी0एस0सी0 / एल0एल0बी0 / एम0एस0सी0 / डिप्लोमा / सार्टिफिकेट परीक्षा के परीक्षार्थी के लिए

परीक्षार्थी के विषय .....

परीक्षार्थी का नाम.....

पूरा पता .....

परीक्षार्थी के पिता का नाम.....

इस प्रवेश पत्र में अंकित विवरण के अनुसार इसमें वर्णित परीक्षार्थी को उपर्युक्त परीक्षा में अनुमति दी जाती है।

सीनेट भवन, इलाहाबाद
दिनांक.....

परीक्षा नियंत्रक
इलाहाबद विश्वविद्यालय

क्रमांक–

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

परीक्षा प्रपत्र जमा प्राप्ति की रसीद

सूचना – आवेदक इस रसीद में अपना नाम, आवेदित परीक्षा व परीक्षा वर्ष स्वयं भरे।

श्री / श्रीमती / कुमारी.....

.....परीक्षा हेतु आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया।

प्रथम अग्रसारण कार्यालय की मुहर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व तिथि

महत्वपूर्ण नियम

1. किसी भी लिखित/मौखिक/प्रयोगात्मक/अन्य परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र/भवन/कक्ष में प्रवेश के समय व उसके बाद तथा परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास वैध परिचय पत्र व परीक्षा प्रवेश पत्र अनिवार्यतः होने चाहिए – अन्यथा वह परीक्षा में प्रस्तुत होने का अधिकारी नहीं होगा।
2. परीक्षा भवन/कक्ष का द्वार परीक्षा के प्रारम्भ हेतु नियत समय से सामान्यतः 30 मिनट पूर्व खोला जायगा। परीक्षा के प्रारम्भ से 30 मिनट व्यनीत होने के उपरान्त आने वाला परीक्षार्थी परीक्षा में प्रस्तुत होने का अधिकारी नहीं होगा।
3. परीक्षा केन्द्र/भवन/कक्ष में प्रवेश से पहले परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके पास मोबाइल सहित किसी रूप में ऐसी सामग्री नहीं है जो परीक्षा से संबंधित है तथा अध्यादेशों में अनुचित साधन के रूप में परिभाषित है।
4. परीक्षा भवन/कक्ष में परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित स्थान पर ही बैठ सकता है, परन्तु परीक्षा के संचालन/निरीक्षण या अनुशासन से संबंधित कोई अधिकारी उसका स्थान बदल सकता है।
5. परीक्षा/केन्द्र/भवन/कक्ष में प्रवेश समय व उसके बाद तथ्झा परीक्ष के दौरान परीक्षार्थी का दायित्व है कि वह परीक्षा क संचालन/निरीक्षण या अनुशासन से संबंधित अधिकारियों के प्रत्येक आदेश का पालन करे तथा उसके कार्यान्वयन में सहयोग दे। ऐसे आदेशों में परीक्षार्थी की तलाशी व उसके परिचय पत्र/परीक्षा प्रवेश पत्र की मांग सम्मिलित है।
6. नियम 5 के अधीन किसी आदेश की अवहेलना/प्रतिरोध/कार्यान्वयन में असहयोग करने पर या किसी अन्य परीक्षार्थी को दिये गए ऐसे आदेश के कार्यान्वयन मे हस्तक्षेप करने पर परीक्षार्थी को परीक्षा को परीक्षा में प्रस्तुति से रोका जा सकता है या परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है।
7. परीक्षा के दौरान यदि परीक्षार्थी किसी अन्य परीक्षार्थी से बात करता है या परीक्षा में उसे2उसकी सहायता देता/लेता है या उसे अनुचित साधन उपलब्ध कराता है, या स्वयं अनुचित साधन का धारण प्रयोग करता है, या स्वयं अथवा अन्य परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के साथ मिलकर परीक्षा या किसी अधिकारी के कार्य में बाधा पहुंचाता है, तो वह अनुचित साधन अध्यादेश के अधीन दंडनीय होगा।
8. यदि परीक्षा के संचालन/निरीक्षण या अनुशासन से संबंधित किसी अधिकारी के विचार में परीक्षा केन्द्र/भवन/कक्ष में परीक्षार्थी की उपस्थिति परीक्षा के सुचारू संचालन या अन्य परीक्षार्थियों के हित में नहीं है, तो वह परीक्षा से पहले या उसके दौरान किसी समय परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर सकता है।
9. परीक्षार्थी को परीक्षा भवन/कक्ष में उसके लिए निर्धारित स्थान पर ही उत्तर–पुस्तिका दी जायेगी। उत्तर–पुस्तिका मिलने के बाद परीक्षार्थी परीक्षा के प्रारम्भ में 35 मिनट व्यतीत होने तक परीक्षा भवन/कक्ष से बाहर नहीं जा सकता है। परीक्षार्थी उपस्थिति पत्र व जांच पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा छोड़कर नहीं जा सकता है।
10. उत्तर–पुस्तिका मिलने के बाद परीक्षार्थी उसमें वर्णित निर्देश ध्यानपूर्वक पढे। परीक्षार्थी का दायित्व है कि वह परीक्षा भवन/कक्ष में परीक्षा के दौरान निरीक्षक के समक्ष उपस्थिति पत्र/जांच पत्र पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करे, तथा निरीक्षक से अपनी समस्त उत्तर–पुस्तिकाएं हस्ताक्षर करवाये – अन्यथा उसकी उत्तर–पुस्तिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. परीक्षार्थी अपने परिचय पत्र/परीक्षा प्रवेश पत्र/प्रश्न पत्र/किसी अंग या वस्त्र/मेज या कुर्सी पर, या अपने स्थान के निकट दीवार/फर्श आदि पर, या अपने पास विद्यमान किसी वस्तु पर, या विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्त किसी परीक्षोपयोगी सामग्री पर, कुछ न लिखें, क्योंकि इस प्रकार का आलेख अनुचित साधन माना जाएगा।
12. निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षार्थी किसी भी प्रयोजन के लिए परीक्षा भवन/कक्ष में अपना निर्धारित स्थान नहीं छोड सकता है। प्रश्न पत्र का उत्तर पूरा करने पर परीक्षार्थी का दायित्व है कि वह अपनी समस्त उत्तर–पुस्तिकाएं निरीक्षक को सौंप कर ही परीक्षा भवन/कक्ष छोडकर जाए। इस नियम का उल्लंघन अनुचित साधन अध्यादेश के अधीन दंडनीय है।
13. परीक्षार्थी द्वारा नशीली वस्तु का सेवन करके परीक्षा केन्द्र/भवन/कक्ष में प्रवेश, या परीक्षा के दौरान नशीली वस्तु का सेवन अथवा परीक्षा की समाप्ति के बाद परीक्षा केन्द्र/भवन कक्ष में उसकी उपस्थिति सर्वथा वर्जित है।